15-09-25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। उन्हें सुना गया। उन्होंने अवगत कराया कि वाके ग्राम सुहारी की आराजीयात में प्रार्थी का विजय सिंह के स्थान पर विजय राजस्व कर्मचारियों की सहवन गलती से दर्ज हो गया, जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड आदि दस्तावेजात में सही नाम विजय सिंह दर्ज है। अत: प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जावें।

हमने बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। इनके आधार पर हम नाम शुद्ध किया जाना उचित पाते है।

अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 423, 200, 204, 216, 253, 398, 445, 446, 494, 517, 76, 79, 235, 444 वाके ग्राम सुहारी तह. भुसावर में प्रार्थी का गलत नाम विजय पुत्र कैलाराम के स्थान पर विजय सिंह पुत्र कैलाराम दुरूस्त राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

पत्रावली कैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०